



2026:AHC:41217

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7395 वर्ष 2026

मोहम्मद अकराम शेख

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : राकेश कुमार सिंह
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. कुछ बहस के उपरांत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को वापस ली हुई मानते हुए खारिज किया जाए तथा यह स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 9493 वर्ष 2023 में उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सके।
2. इस प्रार्थना का प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया।
3. तदनुसार, याचिका को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वापस लेने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

सक्रलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।